प्रस्तावना

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियां व सेवा-शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अनुरूप हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सम्बद्ध विभागों सहित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

वर्ष 2016-17 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान तथा पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आए लेकिन विगत प्रतिवेदनों में स्थान न पा सके प्रकरणों को भी यथावश्यक रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।